ए.

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाम

संदीप कुमार ईटीसी।

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1388-1389) सितंबर 13,2019

बी.

[एल**.** नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता**,** जे**.** जे**.]**

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 -एस. 15-न्यायाधिकरण की शक्ति-71 बख्तरबंद रेजिमेंट को पोखरण फायरिंग रेंज में टी-90 टैंकों के रूपांतरण प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था-काफिले को पटियाला से पोखरण ले जाया गया-बंद डिब्बों में हथियार ले जाया गया-हथियारों की भौतिक जांच की गई और अधिकारी स्क्वाड्रन कमांडर (पीडब्ल्यू-1) ने पुष्टि की कि 50 पिस्तौल थीं-रूपांतरण अभ्यास के अंत में, 2 पिस्तौल के नुकसान की सूचना दी गई थी-उत्तरदाताओं-दो पिस्तौल की चोरी करने के लिए आरोपी-अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब अभियुक्तों को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तैनात किया गया था तो पिस्तौल चोरी हो गई थी-जिला अदालत मार्शल (डीसीएम) ने आरोपी को 1 साल और छह महीने के कठोर कारावास और सेवा से बर्खास्त करने का दोषी ठहराया-सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा अलग कर दिया गया।अभियोजन पक्ष का प्राथमिक साक्ष्य अभियुक्त द्वारा दिए गए इकबालिया बयान हैं-न्यायाधिकरण ने 1972 के सेना आदेश संख्या 256 को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा ताकि यह माना जा सके कि सेना को दिए गए इकबालिया बयान अस्वीकार्य हैं-वर्तमान मामले में, पीडब्लू-1 स्क्वाड्रन कमांडर है जिसके सामने आरोपी ने मौखिक स्वीकारोक्ति की थी, जो आरोपी को पीडब्लू-6 (रेजिमेंट के सेकंड-इन-कमांड) के पास ले गया था-पीडब्लू-1 और पीडब्लू-6 के आदेशों के तहत, आरोपी ने पूरे स्क्वाड्रन के सामने स्वीकारोक्ति की-आरोपी ने तब लिखित स्वीकारोक्ति की, जिसकी रिकॉर्डिंग वीडियो-रिकॉर्ड भी की गई है-एस के संदर्भ में।133 1950 के अधिनियम आर/डब्ल्यू एस।25, साक्ष्य अधिनियम, केवल सैन्य पुलिस अधिकारी जैसे पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान साक्ष्य में अस्वीकार्य है न कि अन्य व्यक्तियों के समक्ष दिया गया बयान-इसलिए, इस तरह के स्वीकारोक्ति को एस द्वारा प्रभावित नहीं किया जाता है।25, साक्ष्य अधिनियम आर/डब्ल्यू। s.133,1950 अधिनियम और सेना आदेश-इसके अलावा, सबूत में मूल हस्तलिखित पर्ची की स्कैन की गई प्रतियों को ध्यान में नहीं रखने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-6 वे व्यक्ति हैं जिन्होंने मूल प्रतियों को देखा और उन्हें हटा दिया कि स्कैन की गई प्रतियां

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

415 ए.

मूल के समान हैं-न्यायाधिकरण की शक्ति यू/एस।15 यह व्यापक है लेकिन ऐसी व्यापक शक्तियां केवल इसलिए निष्कर्षों को उलटने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं क्योंकि न्यायाधिकरण को लगता है कि अलग दृष्टिकोण संभव है-न्यायाधिकरण ने डी. सी. एम. द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करते हुए अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है-भारत संघ द्वारा दायर आपराधिक अपीलों की अनुमति है, जबकि अभियुक्तों की अपील खारिज कर दी जाती है-हालांकि, अभियुक्त पर लगाई गई सजा को पहले से ही पारित सीमा तक कम कर दिया गया है-सेना अधिनियम, 1950 -s.133-साक्ष्य अधिनियम, 1872-ss.1, 25 – सेना नियम, 1954 -आर. 58.

बी.

सेना नियम, 1954 -आर. 58-71 बख्तरबंद रेजिमेंट को पोखरण फायरिंग रेंज में टी-90 टैंकों के रूपांतरण प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था-रूपांतरण अभ्यास के अंत में, 2 पिस्तौलों के नुकसान की सूचना दी गई थी-प्रतिवादी-आरोपी पर दो पिस्तौलों की चोरी करने का आरोप लगाया गया था-अभियुक्त द्वारा दिए गए लिखित इकबालिया बयानों के आधार पर अभियोजन मामला-इकबालिया बयानों को वापस लेना-का प्रभाव-आयोजितःइकबालिया बयानों के अलावा, स्क्वाड्रन कमांडर (पीडब्लू-1) और पीडब्लू-6 (रेजिमेंट के कमांड में दूसरे) के समक्ष मौखिक स्वीकारोक्ति की गई थी-पीडब्लू-6 से स्वीकारोक्ति की किसी भी अनैच्छिक प्रकृति के संबंध में जिरह नहीं की गई थी या कि उसने आरोपी को पीटा था जैसा कि उन्होंने अपने बयानों में कहा था।आर. 58-दोनों अभियुक्तों में से किसी को भी दी गई धमकियों/पिटाई के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों में से किसी से भी जिरह नहीं की गई-अभियुक्त का ऐसा बयान यू/आर।58 अपने खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों की व्याख्या करना है-अभियुक्त बचाव स्थापित नहीं कर सका जिसके साथ अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह का सामना नहीं किया गया था-इसलिए, उनके बयान में दिए गए इकबालिया बयानों को वापस लेना।58 इसका कोई परिणाम नहीं है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

सेना अधिनियम, 1950 -s.133 r/ws।25, 1872 अधिनियम-आयोजितःएस के संदर्भ में।133 आर/डब्ल्यू एस।25, साक्ष्य अधिनियम, केवल सैन्य पुलिस अधिकारी जैसे पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान साक्ष्य में अस्वीकार्य है न कि अन्य व्यक्तियों के समक्ष दिया गया बयान-साक्ष्य अधिनियम, 1872 -एस. 25.

जी.

सेना नियम, 1954 -आर. 58-71 बख्तरबंद रेजिमेंट को पोखरण फायरिंग रेंज में टी-90 टैंकों के रूपांतरण प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था-रूपांतरण अभ्यास के अंत में, 2 पिस्तौल के नुकसान की सूचना दी गई थी-उत्तरदाताओं-अभियुक्तों पर पिस्तौल की चोरी करने का आरोप लगाया गया था-जिला अदालत मार्शल (डीसीएम) ने आरोपी को दोषी ठहराया-ए द्वारा अलग कर दिया गया

एच.

417

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामसंदीप कुमार ईटीसी।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण-अभियुक्त की याचिका कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में उपस्थित होने वाली दोषपूर्ण परिस्थितियों को अभियुक्त यू/आर के सामने नहीं रखा।58, इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा दोषसिद्धि को उचित रूप से रद्द कर दिया गया-अभिनिर्धारित किया गयाःहालाँकि, दोषपूर्ण परिस्थिति को आर के संदर्भ में अभियुक्त के सामने रखा जाना चाहिए था।58 जो एस के समान है।313 लेकिन, अभियुक्तों द्वारा दिया गया विस्तृत स्पष्टीकरण उनके लिए रखी गई विशिष्ट अपराधकारी परिस्थितियों के अभाव के कारण उनके प्रति होने वाले किसी भी पूर्वाग्रह को खारिज करता है-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.313।

बी.

अपीलों का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** नियम **58,** सेना नियम**, 1954** एक अभियुक्त को एक अभियुक्त के खिलाफ उपस्थित होने वाली आपराधिक परिस्थितियों को समझाने का अवसर प्रदान करने के लिए है।इस तरह के बयान एक सबूत नहीं हैं**,** जब यह आरोपी द्वारा नेतृत्व किया जाता है जिसने अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाह की प्रतिपरीक्षा में इस तरह के बचाव के साथ अभियोजन पक्ष के गवाहों का सामना नहीं किया है।दोनों अभियुक्तों में से किसी को भी

धमकाने या पीटने के संबंध में अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से जिरह नहीं की गई। सेना के नियम **58** के तहत दिए गए ऐसे बयान ऐसे सबूत नहीं हैं जो गवाह के सामने रखे गए ऐसे किसी बचाव के अभाव में डी**.** सी**.** एम**.** द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर संदेह करने के लिए माने जा सकते हैं।गवाह**,** जब गवाह बक्से में होता है**,** तो आरोपी की इस तरह की याचिका का जवाब दे सकता है।नियम **58** के तहत अभियुक्त का ऐसा बयान उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए है।अभियुक्त ऐसा बचाव नहीं कर सका जिससे अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह का सामना न हो।अभियुक्त का बयान शपथ पर नहीं है**,** हालाँकि उसके पास शपथ पर गवाह के रूप में उपस्थित होने का विकल्प है।इसलिए**,** जब सेना के नियम **58** के तहत आरोपी को अवसर दिया गया था**,** तब दिए गए आत्म**-**लाभकारी बयान अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई संदेह पैदा नहीं करेंगे**,** जब कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह के लिए कोई दूरस्थ सुझाव भी नहीं है**,** जो अकेले आरोपी द्वारा बताए गए तथ्यों को प्रस्तुत कर सकता है।न्यायाधिकरण ने लिखित पर्ची **(Ex.12** और **Ex.15)** के संबंध में गौण साक्ष्य को दरकिनार कर दिया है। न्यायाधिकरण की राय थी कि अभियोजन पक्ष स्पष्ट है कि पिस्तौल की चोरी **6** अप्रैल**, 2006** को हुई थी**,** लेकिन उसके बाद **27** अप्रैल**, 2006** को भौतिक सत्यापन किया गया था**,** जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था।पीडब्लू**-1** का यह स्पष्ट रुख है कि **27** अप्रैल**, 2006** की रिपोर्ट बिना इसके तैयार की गई थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

किसी भी भौतिक सत्यापन और इस तरह की रिपोर्ट के लिए**,** उसे दंडित भी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रक्रियात्मक चूक हुई थी क्योंकि **27** अप्रैल**, 2006** को हथियारों के भौतिक सत्यापन के बिना रिपोर्ट दी गई थी और कोई दैनिक**,** साप्ताहिक या मासिक जांच नहीं थी।पीडब्लू**-7** ने उस रिपोर्ट को अपदस्थ कर दिया कि हथियार अपनी जगह पर होंगे क्योंकि किसी को भी कोई हथियार जारी नहीं किया गया है।गवाहों को दिए गए सुझाव कि भौतिक सत्यापन **27** अप्रैल**, 2006** को किया गया था या पिस्तौल सामान्य क्षेत्र में बरामद की गई थी**,** सभी गवाहों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।अभियोजन पक्ष का यह रुख कि पिस्तौल **6** अप्रैल**, 2006** को चोरी की गई थी**,** अभियुक्त द्वारा दिए गए लिखित

और मौखिक स्वीकारोक्ति पर आधारित है।अभियोजन पक्ष का प्राथमिक साक्ष्य अभियुक्त द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों के साथ-साथ अभियुक्तों में से एक के भाई द्वारा दिए गए सहायक इकबालिया बयान हैं।**[**पैरा **27,30,33,34] [432-**एच**; 433-**ए-बी**; 435-**ए-सी**; 436-**सी-जी**]**

बी.

सी.

1.2 अभियुक्तों में से एक के भाई का बयान कि वह तीन से चार दिनों तक इकाई में रहा**,** स्पष्ट नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को ऐसा सुझाव नहीं दिया गया था। गेस्ट रजिस्टर **(Ex.22)** हिसार के यूनिट क्षेत्र में **18** जून**, 2006** को उनकी प्रविष्टि दिखाता है।इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह तीन से चार दिनों तक यूनिट में रहे या उन्होंने देखा है कि उनके भाई को पीटा जा रहा है**,** यह पूरी तरह से अविश्वसनीय है।वास्तव में**,** गवाह ने गवाही दी कि जब वह हिसार में यूनिट में गया था तो वह अपने भाई से नहीं मिला था।इसलिए**,** जिस कहानी में उसने अपने भाई को पीटते हुए देखा**,** वह एक मनगढ़ंत कहानी है जब अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया था।अभियोजन पक्ष का मामला अभियुक्त **(**पूर्व **8)** और **(**पूर्व **9)** द्वारा दिए गए लिखित इकबालिया बयानों पर आधारित है।इकबालिया बयानों के अलावा**,** अभियोजन साक्षी**-** और पीडब्लू**-6** के सामने मौखिक इकबालिया बयान दिए गए थे।पी**.** डब्ल्यू**.-6** से स्वीकारोक्ति की किसी भी अनैच्छिक प्रकृति के संबंध में जिरह नहीं की गई थी या यह कि वह वह व्यक्ति है जिसने आरोपी को पीटा है जैसा कि उन्होंने नियम **58** के तहत अपने बयानों में कहा था।अभियुक्त अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से यह सवाल पूछे बिना कि उन्होंने अपने बयानों में कथित रूप से पिटाई की है**,** अभियोजन पक्ष के गवाहों के सुसंगत साक्ष्य पर संदेह नहीं कर सकते।इसलिए**,** उनके ए में दिए गए इकबालिया बयानों को वापस लेना

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

जब स्वीकारोक्ति की अनैच्छिक प्रकृति के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह नहीं की गई है तो नियम **58** के तहत बयान का कोई परिणाम नहीं है।न्यायाधिकरण द्वारा विभिन्न रैंकों के गवाहों के बयान पर संदेह नहीं किया जा सका।न्यायाधिकरण के निष्कर्ष वास्तव में न्यायाधिकरण के स्पष्ट निर्देश पर आधारित हैं।न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में **1972** के सेना आदेश संख्या **256** को पुनः प्रस्तुत किया।हालाँकि**,** न्यायाधिकरण ने इस तरह के सैन्य आदेश को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा है ताकि यह माना जा सके कि सेना को दिए गए इकबालिया बयान अस्वीकार्य हैं।**[**पारस **35-37] [437-A-F]**

बी.

1.3 साक्ष्य अधिनियम की धारा **1** के संदर्भ में**,** साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान सेना अधिनियम**,** नौसेना अनुशासन अधिनियम**,** भारतीय नौसेना **(**अनुशासन**)** अधिनियम**,** **1934** या वायु सेना अधिनियम के तहत बुलाए गए कोर्ट मार्शल पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन अधिनियम की धारा **133** के संदर्भ में**,** साक्ष्य अधिनियम उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोर्ट मार्शल के समक्ष सभी कार्यवाही पर लागू होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा **25** के साथ पठित अधिनियम की धारा **133** के संदर्भ में**,** केवल सैन्य पुलिस अधिकारी जैसे पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान साक्ष्य में अस्वीकार्य है न कि अन्य व्यक्तियों के समक्ष दिया गया बयान।वर्तमान मामले में**,** पीडब्लू**-1** स्क्वाड्रन कमांडर है जिसके सामने आरोपी ने मौखिक स्वीकारोक्ति दी थी।वह आरोपी को पीडब्लू**-6** के पास ले गया।पीडब्लू**-1** और पीडब्लू**-6** के आदेश के तहत**,** आरोपी ने **18** जून**,** **2006** को पूरे स्क्वाड्रन के सामने कबूल किया।**19** जून**,** **2006** को अभियुक्तों ने अपनी लिखावट में एक लिखित स्वीकारोक्ति दी थी।इस तरह के लिखित स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग भी वीडियो**-**रिकॉर्ड की जाती है।इसलिए**,** इस तरह के स्वीकारोक्ति को अधिनियम की धारा **133** और **1972** के सेना आदेश संख्या **265** के साथ पठित साक्ष्य अधिनियम की धारा **25** द्वारा प्रभावित नहीं किया जाता है।इस प्रकार**,** एक सैन्य पुलिस अधिकारी को अलग करने वाला कार्यालय आदेश सेना के एक अधिकारी से अलग और अलग है।न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह के भेद को आसानी से खारिज कर दिया गया है।अकेले सैन्य पुलिस अधिकारी के समक्ष अभियुक्त द्वारा दिया गया इकबालिया बयान स्वीकार्य नहीं है**,** लेकिन सेना अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम**,** **1872** की धारा **25** के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है।वास्तव में**,** इस तरह का बयान लिखित स्वीकारोक्ति के साथ अलग**-**अलग अधिकारियों के सामने पूरे स्क्वाड्रन के सामने दिया जाता है जिसे वीडियो भी बनाया गया था।अभियुक्तों ने अभियोजन पक्ष की कहानी के आधार पर संदेह पैदा करने की कोशिश की है

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

420 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 12 एस. सी. आर.

ए.

तथ्य यह है कि हस्तलिखित पर्ची के मूल का उत्पादन नहीं किया गया है।पीडब्लू**-1** ने अपदस्थ कर दिया है कि इस तरह की पर्ची की मूल प्रति पारगमन के दौरान खो गई है जबकि स्कैन की गई प्रति मूल की वास्तविक प्रति है जिसे गवाह ने देखा है।इस तरह के बयान का समर्थन पी**.** डब्ल्यू**.-5** के बयानों द्वारा किया जाता है जिन्होंने पर्ची पाई और पी**.** डब्ल्यू**.-4** जिन्होंने कार्डबोर्ड जूता बॉक्स बरामद किया।इसके अलावा**,** डी**.** सी**.** एम**.** के समक्ष**,** अभियुक्तों ने द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से पर्ची पेश करने पर विवाद नहीं किया है। इसलिए**,** पीडब्लू**-1** और पीडब्लू**-6** के रूप में साक्ष्य में ऐसी पर्ची को ध्यान में नहीं रखने का कोई कारण वे व्यक्ति हैं जिन्होंने मूल प्रतियों को देखा और यह भी कहा कि स्कैन की गई प्रतियां मूल प्रतियों के समान हैं।इसलिए**,** न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा **15** के तहत अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए डी**.** सी**.** एम**.** द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को उलटने में कानूनी रूप से गलती की। **[**पारस **38-41] [438-E-H; 439-A-F]**

बी.

सी.

1.4 हालाँकि**,** सैन्य नियमों के नियम **58** के संदर्भ में अभियुक्तों के सामने दोषारोपण करने वाली परिस्थिति रखी जानी चाहिए थी**,** जो संहिता की धारा **313** के समान है**,** लेकिन अभियुक्तों द्वारा दिया गया विस्तृत स्पष्टीकरण अभियुक्तों को दी गई विशिष्ट अपराधकारी परिस्थितियों के अभाव के कारण उनके प्रति होने वाले किसी भी पूर्वाग्रह को खारिज करता है।**[**पैरा **42] [439-**एच**; 440-**ए**] 1.5** अधिनियम की धारा **15** न्यायाधिकरण को व्यापक शक्ति प्रदान करती है ताकि कोर्ट मार्शल द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की अनुमति दी जा सके जहां कोर्ट मार्शल का निष्कर्ष किसी भी कारण से कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है**;** निष्कर्ष में कानून के प्रश्न पर गलत निर्णय शामिल है या मुकदमे के दौरान कोई भौतिक अनियमितता थी जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात हुआ।भले ही न्यायाधिकरण की शक्ति व्यापक है**,** लेकिन कोर्ट मार्शल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए साक्ष्य की सराहना पर यह केवल एक अलग राय नहीं है।हस्तक्षेप का पहला आधार यह है कि क्या कोर्ट मार्शल का निष्कर्ष "कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है"। इसलिए**,** इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने के लिए**,** कोर्ट मार्शल द्वारा कानून की त्रुटि होनी चाहिए जो कोर्ट मार्शल द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि के खिलाफ हस्तक्षेप करने के लिए न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान करेगी।दूसरा आधार "कानून के सवाल पर गलत

आवेदन" है।हालाँकि, वर्तमान मामले में न्यायाधिकरण ने सेना के आदेश को गलत तरीके से पढ़कर कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में गंभीर त्रुटि की है।कोई सामग्री ए नहीं है

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

421

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामसंदीप कुमार ईटीसी।

न्यायाधिकरण द्वारा इंगित की गई अनियमितता सैन्य अधिकारी द्वारा इकबालिया बयानों के संबंध में है जो साक्ष्य अधिनियम या अधिनियम के तहत जारी सैन्य आदेश के तहत प्रतिबंध नहीं है। न्यायाधिकरण यह पता लगाने के लिए साक्ष्य की फिर से सराहना कर सकता है कि क्या कोर्ट मार्शल का कोई निष्कर्ष किसी भी कारण से कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है; या कि

बी.

निष्कर्ष में कानून के प्रश्न पर गलत निर्णय शामिल है या मुकदमे के दौरान एक भौतिक अनियमितता थी जिसके परिणामस्वरूप

न्याय की विफलता।लेकिन ऐसी व्यापक शक्तियां न्यायाधिकरण को केवल इसलिए निष्कर्षों को उलटने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं क्योंकि यह पाता है कि अलग दृष्टिकोण संभव है।इसे ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने डी. सी. एम. द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। नतीजतन, भारत संघ द्वारा दायर **2016** की डायरी **No.9218** से उत्पन्न आपराधिक अपीलों को अनुमति दी जाती है, जबकि, **2016** की डायरी **Nos.7204** और **2016** की **7205** से उत्पन्न आपराधिक अपीलों को अभियुक्तों द्वारा दायर किया जाता है।हालाँकि, अभियुक्त पर लगाई गई सजा को उस हद तक कम कर दिया गया है जिस हद तक वे पहले ही भुगत चुके थे। **[**पारस **46-48] [442-C-G; 443-A-B]**

सी.

डी.

केया मुखर्जी बनाम मैग्मा लीजिंग लिमिटेड और अन्र।

(2008) 8 एससीसी 447:[2008] 6 एस. सी. आर. 1; नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2015) 1 एस. सी. सी. 496:[2014] 12 एस. सी. आर. 218-पर निर्भर।

ई.

अजय कुमार सिंह और अन्य बनामफ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और अन्य। आकाशवाणी **2016** एससी **3528:[2016] 5** एससीआर **957;** जय देव और अन्र. वी.पंजाब राज्य

ए. आई. आर 1963 एस. सी 612:[1963] एससीआर 489; वसीम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 400:[1956] एस. सी. आर. 191; भुर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1256; संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य (2010) 9 एस. सी. सी. 747:[2010] 13 एस. सी. आर. 901-संदर्भित।

एफ.

मामला कानून संदर्भ

जी.

[2016] 5 एससीआर **957**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

[2008] 6 एससीआर **1**

उस पर भरोसा करें

पैरा **43**

[1963] एससीआर **489**

संदर्भित किया गया है

पैरा **43**

एच.

ए.

[2014] 12 एससीआर **218**

उस पर भरोसा करें

पैरा **44**

[1956] एससीआर **191**

संदर्भित किया गया है

पैरा **44**

ए**.** आई**.** आर **1974** एस**.** सी**. 1256**

संदर्भित किया गया है

पैरा **44**

[2010] 13 एससीआर **901**

संदर्भित किया गया है

पैरा **44**

बी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2019 की आपराधिक अपील संख्या 1388-1389।

2010 की टी. ए. संख्या 1247 में चंडीमंदिर में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ क्षेत्रीय पीठ के दिनांक <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से/2010 की टी. ए. संख्या 1247 में 2014 की एम. ए. संख्या 3707 और 3708 में दिनांक <आई. डी. 1 के आदेश से। 2008 की रिट याचिका संख्या 1067) और 2010 की टी. ए. संख्या 1251/2010 की टी. ए. संख्या 1251 में 2015 की एम. ए. संख्या 3487,2355 और 2356 में दिनांकित आदेश। 2008 का डब्ल्यू. पी. सं. 1107)।

सी.

के साथ

डी.

2019 की आपराधिक अपील संख्या 1390,1391।

आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता, रविंदर मलिक, हिमांशु शर्मा, सुश्री अदिति शर्मा, सीता राम शर्मा, संदीप सिंह, राम निवास शर्मा, सुश्री अर्चना पाठक दवे, मुकेश कुमार मारोरिया, जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, सुश्री प्रियंका दास, अनमोल चंदन, ए. के. शर्मा, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. देरी को माफ कर दिया गया।अपीलें स्वीकार की गईं।

एफ.

2. 2016 की डायरी संख्या 9218 से उत्पन्न आपराधिक अपीलें भारत संघ द्वारा दायर की जाती हैं, जबकि; 2016 की डायरी संख्या 7204 और 2016 की 7205 से उत्पन्न आपराधिक अपीलें क्रमशः आरोपी-नीरज कुमार ढाका और संदीप कुमार द्वारा दायर की गई हैं।

3. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 1 की धारा 30 के तहत भारत संघ द्वारा दायर अपीलों में चुनौती सशस्त्र बल न्यायाधिकरण 2 द्वारा 12 दिसंबर, 2013 को पारित एक आदेश को दी गई है, जिसमें दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

जी.

1 अधिनियम

2 न्यायाधिकरण ए

एच.

423

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामसंदीप कुमार ईटीसी। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

प्रत्यर्थीगण के खिलाफ कोर्ट मार्शल 3 कार्यवाही की गई।न्यायाधिकरण ने दोनों अभियुक्तों की बहाली के लिए एक आदेश पारित किया, लेकिन यह भी आदेश दिया गया कि अभियुक्त सेवा से बाहर होने की अवधि के लिए किसी भी वेतन के हकदार नहीं होंगे।अन्य दो अपीलें उन अपीलों में अभियुक्तों को मजदूरी वापस करने से इनकार करने वाले न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हैं।

बी.

4. न्यायाधिकरण ने पाया कि डी. सी. एम. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कहा गया है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप दो पिस्तौलों की चोरी का था [(i) पिस्तौल ब्राउनिंग 9 एम. एम., बट नंबर 1-रेग। नहीं। टी-5251; और (ii) पिस्तौल ब्राउनिंग 9 मिमी, बट नंबर 22-रेग। नहीं। बी-3927] 6 अप्रैल, 2006 को, लेकिन 12 मई, 2006 को नुकसान पाए जाने तक कोई भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया प्रतीत होता है।न्यायाधिकरण ने यह भी पाया कि अभियुक्त द्वारा दी गई लिखित स्वीकारोक्ति (पूर्व 8 और पूर्व 9) पूरे स्क्वाड्रन की उपस्थिति में है, इस प्रकार, सेना में व्यक्तियों के लिए इस तरह के मौखिक स्वीकारोक्ति पर 1972 के सेना आदेश No.256 के संदर्भ में भरोसा नहीं किया जा सकता है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अभियुक्त हिरासत में थे क्योंकि लिखित इकबालिया

बयानों में कोई तारीख का उल्लेख नहीं है और इस बारे में रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि अभियुक्त ने लिखित रूप में उक्त इकबालिया बयानों को कैसे और किसके कहने पर कम करने की इच्छा व्यक्त की।न्यायाधिकरण ने पाया कि किसी भी आरोपी के इकबालिया बयान के अनुसरण में कोई बरामदगी प्रभावित नहीं हुई क्योंकि पिस्तौल पहले ही बरामद की जा चुकी थी।न्यायाधिकरण ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन दो पर्ची (Ex.12 और Ex.15) पर भरोसा किया गया था, उन्हें द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन ऐसी किसी पर्ची के अस्तित्व या उक्त पर्ची के खो जाने के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया गया था।इसलिए, किसी भी द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है।न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि अभियोजन पक्ष के मामले को आरोपी संदीप कुमार के सामने नहीं रखा गया था, जैसा कि सेना के नियम 58 द्वारा आवश्यक है, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत बयान के समान है।न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

सी.

डी.

ई.

एफ.

"43. उपरोक्त विस्तृत चर्चा से यह बहुत स्पष्ट है कि मामला पूरी तरह से दोनों याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए कथित इकबालिया बयानों पर आधारित है जो स्वेच्छा से किए गए साबित नहीं हुए हैं और इनसे कोई वसूली नहीं हुई है और इसलिए, इसे आरोपी से जोड़ा नहीं जा सकता है और इस प्रकार ऊपर निर्दिष्ट 1972 के सेना आदेश 256 की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

जी.

3 डीसीएम

4 इसके बाद 'अभियुक्त' 5 संहिता के रूप में संदर्भित

एच.

भी।याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में कोई अन्य सबूत नहीं है और अन्य गवाहों के बयान बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं।"

5. उक्त आदेश की ओर ले जाने वाले तथ्यों को बताए जाने की आवश्यकता हैः

71 बख्तरबंद रेजिमेंट 6 द्वारा सेना मुख्यालय की जनरल स्टाफ शाखा को दो पिस्तौल के नुकसान के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसके कारण बाद में डी. सी. एम. को नुकसान हुआ। उक्त रेजिमेंट को 15 मार्च, 2006 से 4 अप्रैल, 2006 तक पोखरण फायरिंग रेंज में टी-90 टैंकों के रूपांतरण प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।काफिले को पटियाला से पोखरण ले जाया गया, जबकि हथियारों को बंद डिब्बों में ले जाया गया। प्रशिक्षण और रूपांतरण अभ्यास 1 अप्रैल, 2006 से 11 मई, 2006 तक सामान्य क्षेत्र लुनकरणसर में आयोजित किया गया था।हथियारों की भौतिक जांच 27 अप्रैल, 2006 को की गई थी और स्काड्रन के अधिकारी कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल जे. जी. गोपालन ने पुष्टि की कि बिनिवारली में शिविर में 'ए' स्काड्रन में 50 पिस्तौल थे।रेजिमेंट ने 30 अप्रैल, 2006 से 2 मई, 2006 तक सामान्य क्षेत्र बिंजरवाली में एक और अभ्यास किया।3 मई, 2006 को शुरू हुए टी-90 रूपांतरण अभ्यास के लिए सभी टैंकों को तैयार करना था।

बी.

सी.

डी.

3 मई, 2006 के बाद से, रेजिमेंट ने बिंजरवाली से सामान्य क्षेत्र बीकामसर तक अपनी आवाजाही शुरू की।मार्च आउट में स्काड्रन कमांडर द्वारा हस्ताक्षरित 50 पिस्तौल दिखाई दिए।टैंक चालक दल के सदस्य दफेदार विजयपाल ने अपनी चाबियाँ वरिष्ठ जे. सी. ओ. रिसालदार कटार सिंह को सौंप दीं।रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 9 मई, 2006 को 1500 बजे एक आदेश प्राप्त हुआ था।कि सभी भाग लेने वाले दल को हथियार ले जाने थे।दफेदार रायबीर सिंह ने 48 पिस्तौल गिने।वरिष्ठ जे. सी. ओ. रिसालदार कटार सिंह ने न तो अंतर दर्ज किया और न ही किसी को सूचित किया।धर्मांतरण अभ्यास के अंत में, 13 मई, 2006 को सुबह 10:30 बजे हथियारों के नुकसान की सूचना मिली थी।यह भी बताया गया कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी को 18 मई, 2006 को 26 मई, 2006 को इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया है।रिपोर्ट में कहा गया है कि नुकसान 27 अप्रैल, 2006 को बिंजरवाली और 9 मई, 2006 को मित्तासर में हुआ है।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हथियारों के नुकसान के बारे में थाना सरदारशहर में एक प्राथमिकी संख्या 644 दर्ज की गई थी।यह भी बताया गया कि टी-90 टैंक में तीन सदस्यीय चालक दल है, लेकिन दो पिस्तौलों के नुकसान का परिचालन दक्षता पर कम से कम प्रभाव पड़ता है।रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया राय इस प्रकार हैः

ई.

एफ.

जी.

एच.

425

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामसंदीप कुमार ईटीसी। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

“6. ओ. सी. इकाई के अस्थायी दृश्य।पहली नजर में डब्ल्यू. पी. एन. का नुकसान कोटे एन. के. सी. ओ., एस. आर. जे. सी. ओ. और ए. स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन कमांडर की लापरवाही के कारण प्रतीत होता है। इस समय चोरी या किसी अन्य दुर्भावनापूर्ण इरादे से इनकार नहीं किया जा सकता है और सभी सुरागों की जांच की जा रही है।”

6. 22 मई, 2006 (Ex.26) को सैन्य खुफिया महानिदेशालय को रेजिमेंट के कमांडेंट द्वारा सूचित किया गया था कि दो खोई हुई पिस्तौल 22 मई, 2006 को लगभग 1600 बजे व्यायाम क्षेत्र में मित्तासर से बीकामसर तक के रास्ते पर मिली हैं।इस प्रकार, दो अलग-अलग संस्करण रिकॉर्ड पर आए हैं कि वसूली कैसे और कहाँ की गई थी।एक संस्करण यह है कि जमीनी तलाशी के दौरान सामान्य क्षेत्र में पिस्तौल पाए गए थे, जबकि दूसरा संस्करण यह है कि दफेदार विजयपाल सिंह को धोबी (वॉशरमैन) क्षेत्र के आसपास पिस्तौल वाला एक कार्डबोर्ड जूता बॉक्स मिला था।अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी नीरज कुमार का भाई पंकज ढाका 18 जून, 2006 को हिसार सैन्य स्टेशन में अपने भाई से मिलने आया था, जिसने संदीप कुमार के सहयोग से नीरज कुमार द्वारा पिस्तौल की चोरी की सूचना दी थी।

बी.

सी.

डी.

7. अभियुक्तों पर 26 सितंबर, 2007 को सेना अधिनियम, 1950 की धारा 52 (ए) के तहत आरोप लगाया गया था, जिसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पढ़ा गया था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि दोनों पिस्तौलों की चोरी 6 अप्रैल, 2006 को हुई थी, जब आरोपी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तैनात थे और 22 मई, 2006 को लुनकरणसर के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में बरामद किए गए थे।कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने 18 मई, 2006 (Ex.25) की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।इसके बाद, दोनों अभियुक्तों पर डी. सी. एम. द्वारा मुकदमा चलाया गया, जिन्होंने अभियुक्त को दोषी ठहराया और उन्हें दोषी ठहराया गया और एक साल और छह महीने के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और सेवा से बर्खास्त करने की सजा भी सुनाई गई।

ई.

एफ.

8. प्रारंभ में, संदीप कुमार का प्रतिनिधित्व श्री सी. एस. दलाल, अधिवक्ता ने किया और नीरज कुमार ढाका का प्रतिनिधित्व श्री ओम प्रकाश, अधिवक्ता ने डीसीएम के समक्ष कार्यवाही में किया। हालाँकि, बाद में, श्री सी. एस. दलाल, अधिवक्ता ने डी. सी. एम. के समक्ष दोनों अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व किया।

जी.

9. अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाह लेफ्टिनेंट कर्नल जे. जी. गोपालन, स्क्वाड्रन कमांडर हैं, जो पीडब्लू-1 के रूप में पेश हुए।उन्होंने कहा कि वह

7 सेना अधिनियम 8 भारतीय दण्ड संहिता सी.

एच.

12 मई, 2006 को दो पिस्तौलों के खो जाने के बारे में रिसालदार कटार सिंह (पीडब्लू-7) द्वारा सूचित किया गया।उन्होंने कहा कि 18 मई, 2006 और 19 मई, 2006 को की गई तलाशी के दौरान, हस्तलिखित पर्ची (Ex.15) बरामद की गई थी, जिसका प्रभाव यह है कि अगर स्क्वाड्रन को 24 घंटे के लिए पास आउट दिया जाता है तो पिस्तौल का पता लगाया जाएगा और एक अधिकारी भी शामिल होगा।इसके बाद, 16 चयनित कर्मियों के अलावा पूरे स्क्वाड्रन को आउट-पास भेजा गया, जिन्हें पिस्तौल की तलाशी के लिए भेजा गया था।लेकिन 22 मई, 2006 को दफेदार विजयपाल सिंह (पीडब्लू-4) को दो पिस्तौल के साथ एक जूता बॉक्स मिला।उन्होंने आगे कहा कि पंकज ढाका ने उनके सामने खुलासा किया कि उनके भाई नीरज कुमार उनके पास दो पिस्तौल लाए हैं और नीरज ने उनके सामने उन्हें माफ करने की गुहार लगाई।हॉकी खेल रहे दूसरे आरोपी संदीप को भी बुलाया गया।उन्होंने कहा कि अंतिम भौतिक हथियार जांच 31 मार्च, 2006 को की गई थी, लेकिन 27 अप्रैल, 2006 की रिपोर्ट बिना शारीरिक जांच के तैयार की गई थी।उन्होंने यह भी कहा कि मूल हस्तलिखित पर्ची (Ex.15) और जूते के डिब्बे (Ex.12) पर उपहार-लपेटने वाले कागज पर चिपकाए गए लेबल की तस्वीर पारगमन में खो गई थी और अनुपलब्ध थी, लेकिन स्कैन की गई प्रतियां माध्यमिक साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत की गई थीं, जिसे डीसीएम द्वारा अनुमति दी गई थी। अभियुक्त के इकबालिया बयानों में कहा गया है कि दोनों पिस्तौल 6 अप्रैल, 2006 को चोरी हुए थे, जो अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र का आधार है।

बी.

सी.

डी.

10. गवाह ने आगे कहा कि 18 जून, 2006 को दोनों अभियुक्तों को लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंदर सिंह, सेकंड-इन-कमांड द्वारा बुलाया गया था।दोनों अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने दो पिस्तौल की चोरी की है।पूरे 'ए' स्क्वाड्रन को बुलाया गया और दोनों अभियुक्तों ने उनके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने दो पिस्तौल की चोरी की है।गवाह ने दो पृष्ठों में नीरज कुमार ढाका (पूर्व 8) का हस्तलिखित इकबालिया बयान और पंकज ढाका (पूर्व 8) के बयान के साथ चार पृष्ठों (पूर्व 9) में संदीप कुमार का हस्तलिखित इकबालिया बयान भी पेश किया है। 10) एक पृष्ठ में।इस तरह के इकबालिया बयानों का वीडियो भी बनाया गया था। वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि को Ex.39 के रूप में चिह्नित किया गया है।

ई.

एफ.

11. हमें सबसे पहले, द्वितीयक साक्ष्य के संबंध में निष्कर्ष की जांच करनी होगी।अभियोजक ने द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए एक आवेदन दायर किया है।बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उन्हें दर्ज की गई कार्यवाही में गौण साक्ष्य का नेतृत्व करने में कोई आपत्ति नहीं है।इस तरह की कार्यवाही तब दर्ज की जाती है जब अभि.सा. 1 का बयान दर्ज किया जा रहा था।गवाह के बयान का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

जी.

एच.

427

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामसंदीप कुमार ईटीसी। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

ए.

“कार्यवाही के इस चरण में, अभियोजक प्रस्तुत करता है कि उपहार आवरण पर चिपकाई गई हस्तलिखित पर्ची और लेबल पर्ची जिसमें दो चोरी की पिस्तौल वाला कार्डबोर्ड जूता बॉक्स पाया गया था, जिसे अदालत में सबूत के रूप में पेश किया जाना है, उसका पता नहीं चल सकता है।अभियोजक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत करता है जिसमें अभियोजक को दस्तावेजों की हस्तलिखित पर्ची और उपहार आवरण पर चिपकाई गई लेबल पर्ची को साबित करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य देने की अनुमति दी जाती है जिसमें दो चोरी की पिस्तौल वाला कार्डबोर्ड जूता बॉक्स पाया गया था।उसी को प्राप्त किया जाता है, पढ़ा जाता है, '13' प्रदर्शित किया जाता है।”

बी.

"बचाव पक्ष के अधिवक्ता, जवाब में प्रस्तुत करते हैं कि उपहार आवरण पर चिपकाई गई हस्तलिखित पर्ची और लेबल पर्ची जिसमें दो चोरी की पिस्तौल वाला कार्डबोर्ड जूता बॉक्स पाया गया था, मूल रूप से, गवाहों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रदर्शनों के साथ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की प्रति संख्या 1 में अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध होना चाहिए था।इसके अलावा, बचाव पक्ष के अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व करने में कोई आपत्ति नहीं है।

सी.

डी.

अभियोजन पक्ष, जवाब में, प्रस्तुत करता है कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की प्रति संख्या 1 में मूल दस्तावेज प्रदर्शन के रूप में नहीं हैं।इन्हें अभियोजन पक्ष को सौंप दिया गया है। दस्तावेज़ पारगमन में खो गए हैं और अप्राप्य हैं।"

ई.

12. डी. सी. एम. ने अपने समक्ष पक्षों की संबंधित दलीलों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"सज्जनों, अब आप अपने समक्ष पढ़े गए उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में दस्तावेजों, हाथ से लिखी पर्ची और उपहार आवरण पर चिपकाई गई लेबल पर्ची को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत करने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें दो चोरी की पिस्तौल वाला कार्डबोर्ड जूता बॉक्स पाया गया था।XXX XXX XXX

एफ.

न्यायालय अभियोजन पक्ष को द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने का निर्णय लेता है।"

जी.

13. इसके बाद जिरह में गवाह ने इस बात से इनकार किया कि सोवर राकेश फोगाट को 22 मई, 2006 को लगभग 1500 बजे दो पिस्तौल मिली थीं।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पिस्तौल सामान्य क्षेत्र में पाए गए थे क्योंकि पिस्तौल 'ए' स्क्वाड्रन के धोबी टेबल पर पाए गए थे।

एच.

गवाह ने गवाही दी कि हस्तलिखित पर्ची उसके पास थी लेकिन इसे 88 बख्तरबंद रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल एस. भारद्वाज को एक प्रदर्शनी के रूप में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में प्रस्तुत किया गया था।उन्होंने पदच्युत किया कि मूल हस्तलिखित पर्ची उनके द्वारा देखी गई थी और स्कैन की गई प्रति (Ex.15) वही है।गवाह ने गवाही दी कि दो पिस्तौल अखबार की चादरों में लिपटे हुए थे।अखबार की कतरनों में मुजफ्फरनगर क्षेत्र से संबंधित अखबार से काटना शामिल था, जहाँ से आरोपी सोवर नीरज कुमार ढाका रहते हैं।गवाह ने गवाही दी कि इकबालिया बयान पूर्व। 8, 9 और 10 बिल्कुल वही हैं जो कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के समक्ष पेश किए गए थे।इकबालिया बयानों को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पूरे स्क्वाड्रन के सामने कबूल करने के बाद स्वेच्छा से हस्तलिखित किया गया था।उन पर कोई बल प्रयोग नहीं किया गया था।

बी.

सी.

14. गवाह ने इस बात से इनकार किया कि आरोपी व्यक्तियों को क्वार्टर गार्ड में रखा गया था या उन्हें हिरासत में लिया गया था।उन्होंने स्वीकार किया कि प्रक्रियात्मक चूक हुई है और हथियारों की दैनिक, साप्ताहिक और मासिक जांच निर्धारित तरीके से नहीं की गई है। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि वे धर्मांतरण प्रशिक्षण ले रहे थे।इसलिए, प्रतिबद्धता बहुत भारी थी।दफेदार विजय पाल सिंह (संख्या 1079855X) एक समय में विभिन्न कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, जैसे कि कोटे गैर-कमीशन अधिकारी और टैंक कमांडर।प्रशिक्षण प्रतिबद्धताओं को उच्च प्राथमिकता दी गई।यह कहा गया था कि मूल विश्वास यह था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है।प्रक्रियात्मक खामियां हुईं।इसके लिए उन्हें और दफेदार विजय पाल सिंह को पहले ही सजा दी जा चुकी है।

डी.

ई.

15. पीडब्लू-2 का नाम रिसालदार राय सिंह है।वह 18 जून, 2006 को पूरे स्क्वाड्रन के सामने आरोपी के कबूलनामे का गवाह है।उन्होंने पदच्युत किया कि हथियारों की आकस्मिक जांच 27 अप्रैल, 2006 को की गई थी क्योंकि यह माना जाता था कि सभी हथियारों को उनके संबंधित स्थानों पर रखा गया था।

एफ.

16. पीडब्लू-3 कार्यवाहक लांस दफेदार राजेंद्र सिंह हैं।उन्होंने कहा कि उन्हें 11 मई, 2006 को लगभग 1830 बजे रिसालदार कटार सिंह ने सूचित किया था कि दो पिस्तौल की कमी है।उन्होंने यह भी बयान दिया कि उन्हें और दफेदार बालजीत सिंह को 22 मई, 2006 को एक काला पॉलिथीन बैग मिला था जिसमें जूते का डिब्बा था जिसमें दो चोरी की पिस्तौल थीं।

उन्होंने कहा कि आरोपी नीरज कुमार को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से छुट्टी दे दी गई थी और हिसार भेज दिया गया था, जबकि संदीप कुमार ने 7 अप्रैल, 2006 को पेट दर्द का बहाना बनाया और बाद में उन्हें जोधपुर के सैन्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उसने बयान दिया कि उसे दोनों अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा चोरी की गई दो पिस्तौलों के लिए सजा दी गई है।जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि हथियारों की सफाई 1 अप्रैल, ए को की गई थी।

जी.

एच.

429

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामसंदीप कुमार ईटीसी। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

2006 और उसके बाद नहीं और केवल कागजी काम किया गया था।उन्होंने आगे कहा कि रिसालदार कटार सिंह 4 अप्रैल, 2006 से 24 अप्रैल, 2006 तक छुट्टी पर थे और वे वरिष्ठ जे. सी. ओ. और कोटे जे. सी. ओ. के रूप में कार्य कर रहे थे। रिसालदार कटार सिंह को श्रमशक्ति की कमी के बावजूद छुट्टी पर भेज दिया गया था क्योंकि उन्हें अपने परिवार को हिसार में नए आवास में स्थानांतरित करने के लिए श्री गंगानगर में पारिवारिक आवास खाली करना पड़ा था।उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि 18 जून, 2006 को उनके भाई रणबीर सिंह उनसे मिलने हिसार सैन्य स्टेशन आए थे।सीएमपी संतरी ने उसे बताया कि आरोपी नीरज कुमार का भाई पंकज ढाका उससे मिलने आया था।उन्होंने रेजीमेंट का अतिथि रजिस्टर प्रस्तुत किया है जहाँ नीरज कुमार ने अपने भाई पंकज ढाका (Ex.22) की यात्रा का विवरण लिखते हुए एक प्रविष्टि की थी।हालाँकि, डी. सी. एम. ने एक नोट दिया है कि अतिथि रजिस्टर में कटिंग हैं, लेकिन रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि आगंतुक के समय और नाम के संबंध में अतिथि रजिस्टर में कोई कटौती नहीं की गई है, हालाँकि ऐसा लगता है कि अदालत द्वारा देखे गए रिसालदार मेजर के हस्ताक्षर के कॉलम में कुछ कटिंग हैं।उन्होंने अपदस्थ किया कि नीरज कुमार पीडब्लू-1 के आवास पर गया और स्वीकार किया कि उसने आरोपी नंबर 2 के साथ दो पिस्तौल चोरी की थीं और उसने स्क्वाड्रन कमांडर के सामने गलत काम करना स्वीकार किया।उन्होंने गवाही दी कि दोनों अभियुक्तों ने छुट्टी पर रहते हुए एक-दूसरे के साथ बातचीत की थी।अभियुक्त नंबर 1 नीरज कुमार 12 मई, 2006 को छुट्टी से वापस आ गया था, जबकि अभियुक्त नंबर 2 14 मई, 2006 को हिसार सैन्य स्टेशन में वापस आया था और बाद में दोनों 15 मई, 2006 को लुनकरणसर गए, जहाँ 'ए' स्क्वाड्रन स्थित था।यह 18 मई, 2006 को लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंदर सिंह, सेकंड-इन-कमांड ने आदेश दिया और घोषणा की कि बाकी 'ए' स्क्वाड्रन के सभी व्यक्तियों को दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिसने गलती की है वह आ सकता है और व्यक्तिगत रूप से उसे स्वीकार कर सकता है या एक पर्ची लिख सकता है।इसके बाद 19 मई, 2006 को नीरज कुमार ने धोबी की मेज पर एक हस्तलिखित पर्ची रखी।आरोपी इस पर

नजर रख रहे थे कि क्या कोई पर्ची उठाता है, लेकिन बाद में नीरज कुमार ने पर्ची उठाई और उसे वरिष्ठ दाफेदार मेजर सरवन कुमार को दे दिया।उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि पंकज ढाका ने स्वेच्छा से अपना बयान उनकी उपस्थिति में और रिसालदार राय सिंह की उपस्थिति में दिया है।जिरह में उसने संदीप कुमार की मां से यह कहने से इनकार किया कि उसे उसके बेटे को भूल जाना चाहिए क्योंकि उसे पीटा गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

17. पीडब्लू-4 है दफेदार विजयपाल सिंह ने एक कार्डबोर्ड जूता बॉक्स में पिस्तौल बरामद की है।उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि उन्हें दफेदार बालजीत सिंह के साथ एक काला पॉलिथीन बैग मिला जिसमें दो पिस्तौल थीं।उन्होंने उपहार-लपेटने वाले कागज पर चिपकाए गए लेबल (Ex.12) की तस्वीर की पहचान की है।

एच.

वह और दफेदार बालजीत सिंह उसे जगाने के बाद जूतों का डिब्बा रिसालदार कटार सिंह (पीडब्लू-7) और रिसालदार राय सिंह (पीडब्लू-2) के पास ले गए।जूतों के डिब्बे को खोलने पर उन्हें अखबार की कटिंग के साथ-साथ अखबारों में अलग से लिपटे दो पिस्तौल मिले। उन्होंने स्काड्रन कमांडर (पीडब्लू-1) लेफ्टिनेंट कर्नल जे. जी. गोपालन को सूचित किया।

18. रिसालदार सरवन कुमार की जांच पीडब्लू-5 के रूप में की जाती है।उन्होंने पदच्युत किया कि हथियारों की कमी के बारे में उन्हें रिसालदार कटार सिंह ने बताया था।उन्होंने Ex.15 के रूप में चिह्नित हस्तलिखित पर्ची और कैप्टन के हस्ताक्षर और डाक टिकट को पहचाना।विनीत कुमार।उन्हें यह लिखावट आरोपी नंबर 1-नीरज कुमार ने 19 मई, 2006 को दी थी क्योंकि उन्हें धोबी टेबल पर पर्ची मिली थी।

बी.

सी.

19. पीडब्लू-6 लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंदर सिंह हैं, जो रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड हैं। उन्होंने हस्तलिखित पर्ची (Ex.15) के बारे में बताया कि जिसमें मूल के समान सामग्री है। उन्होंने मूल भी देखा है।उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि उन्होंने सभी लोगों को दो दिनों के लिए बाहर भेज दिया।उन्हें 21 मई, 2006 को वापस रिपोर्ट करना था।उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि अभियुक्त द्वारा उनके और पूरे दस्ते के सामने इकबालिया बयान दिए गए थे। उन्होंने गवाही दी कि आरोपी और पंकज ढाका दोनों ने लिखित इकबालिया बयान दिए जो उन्हें पढ़े गए और वीडियो-रिकॉर्ड किए गए।उन्होंने निम्नानुसार पदच्युत कियाः

डी.

"अब मुझे मूल रूप से आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 और मास्टर पंकज ढाका, आरोपी नंबर 1 के भाई के लिखित इकबालिया बयान '8', '9' और '10' प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है।मैं प्रदर्शनी '8', '9' और '10' के साथ पहचान करता हूं, और इन इकबालिया बयानों को मूल रूप से पहले देखा है।

ई.

अभियुक्त व्यक्तियों ने 18 जून 2006 को पहले मौखिक इकबालिया बयान और 19 जून 2006 को लिखित इकबालिया बयान से शुरू होकर विभिन्न चरणों में बयान दिए हैं।फिर, तत्कालीन कमांडेंट द्वारा आयोजित कोर्ट ऑफ इन्कायरी में, 88 बख्तरबंद रेजिमेंट और कमांडिंग ऑफिसर, 10 मर्चेंडाइज्ड इन्फैंट्री और साक्ष्य के सारांश में भी विस्तार से दिए गए बयान।दोनों अभियुक्तों ने मुझसे अनुरोध किया था कि जब भी वे मुझसे बातचीत करें तो उन्हें सिविल जेल से बचा लें।"

एफ.

जी.

20. जिरह में, उन्होंने अपदस्थ किया कि अभियुक्त व्यक्तियों की लिखित स्वीकारोक्ति की वीडियो रिकॉर्डिंग रेजिमेंट के कमांडेंट के आदेश पर की गई थी।वीडियो का प्रतिलेखन ए था

एच.

431

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामसंदीप कुमार ईटीसी। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

लेफ्टिनेंट अमित सूडान द्वारा विधिवत सत्यापित बचाव पक्ष के अधिवक्ता को दिया गया। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि इकबालिया बयान (पूर्व 8 और पूर्व 9) उनकी उपस्थिति में

नहीं लिखे गए थे, जबकि आरोपी के मौखिक इकबालिया बयान उनकी उपस्थिति में और पूरे 'ए' स्काड्रन और रेजिमेंट के कमांडेंट की उपस्थिति में दिए गए थे।

21. उन्होंने गवाही दी कि अभियुक्तों ने 18 जून, 2006 को पहले मौखिक इकबालिया बयानों से लेकर विभिन्न चरणों में बयान दिए हैं; 19 जून, 2006 को लिखित इकबालिया बयान और फिर तत्कालीन कमांडेंट, 88 बख्तरबंद रेजिमेंट द्वारा की गई कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में और कमांडिंग ऑफिसर, 10 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री और साक्ष्य के सारांश के स्तर पर भी विस्तार से दिए गए बयान।

बी.

सी.

22. पीडब्लू-7 का नाम रिसालदार कटार सिंह है।उन्होंने पदच्युत किया कि 31 मार्च, 2006 और 9 मई, 2006 के बीच हथियारों की कभी भौतिक रूप से जांच नहीं की गई थी।उन्हें 9 मई, 2006 को दो पिस्तौलों के खो जाने के बारे में पता चला क्योंकि उन्हें टैंक के चालक दल को जारी किया जाना था।वह दोनों अभियुक्तों द्वारा लिखे गए इकबालिया बयान का गवाह है और अभियुक्त ने पूरे स्काड्रन की उपस्थिति में दो पिस्तौल चुराने की बात कबूल की। मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक प्रकृति के थे।उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि उनका मानना है कि अभ्यास में पारगमन के दौरान दो पिस्तौल खो गए थे क्योंकि किसी को भी पिस्तौल जारी नहीं की गई थी।उन्होंने धोबी मेज पर पाई गई पर्ची की सामग्री, स्कैन की गई प्रति और हस्तलिखित पर्ची को पहचाना।उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि उन्होंने 13 मई, 2006 को पी. एस. लुनकरणसर में दो पिस्तौल खोने के साथ-साथ रिपोर्ट (Ex.37) को रद्द करने के लिए एक दैनिक डायरी रिपोर्ट दर्ज की।पी. एस. सरदारशहर में दर्ज दैनिक डायरी रिपोर्ट को Ex.21 के माध्यम से रद्द कर दिया गया था।उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि 18 जून, 2006 को वह अपने आवास पर थे जब पूरे 'ए' स्काड्रन को रेजिमेंट में इकट्ठा किया गया था और वे 1800 बजे रेजिमेंट पहुंचे।दोनों आरोपी पूरे स्काड्रन के सामने खड़े थे।कर्नल एच. एस. चेहल, कमांडेंट; लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंदर सिंह, सेकंड-इन-कमांड और लेफ्टिनेंट कर्नल जे. जी. गोपालन, स्काड्रन कमांडर भी वहां मौजूद थे।दोनों अभियुक्तों ने दो पिस्तौल चोरी करने की बात कबूल की।उन्होंने इकबालिया बयान भी लिखा।वह आरोपी नीरज कुमार द्वारा लिखे गए इकबालिया बयान का गवाह है।सोवर कृष्ण कुमार भी उपस्थित थे। वह और सोवर अतर दहिया आरोपी संदीप कुमार के इकबालिया बयान के गवाह हैं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

23. पीडब्लू-8 दाफेदार प्रकाश चंद है जिसने 19 जून, 2006 को आरोपी और पंकज ढाका के लिखित इकबालिया बयानों का वीडियो रिकॉर्ड किया है।उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रतिलेखन तैयार किया है।क्रॉस में -

एच.

जाँच में, उन्होंने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई कटौती नहीं है और ठीक वही टेप है जिसे उन्होंने 19 जून, 2006 को रिकॉर्ड किया था और वीडियो टेप में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।

24. पीडब्लू-9 कर्नल एस. भारद्वाज, उप परियोजना प्रबंधक हैं, जिन्हें पहले दो पिस्तौल के नुकसान के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।उन्होंने कहा कि अभियुक्त व्यक्तियों ने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के समक्ष गवाह के रूप में गवाही दी और बाद में अतिरिक्त बयान दिए जिसमें उन्होंने स्वेच्छा से अपना गलत काम स्वीकार किया।उन्होंने यह भी कहा कि मूल हस्तलिखित पर्ची कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में दिखाई गई थी और केवल एक स्कैन की गई प्रति ली गई थी जिसे कैप्टन विनीत कुमार द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था।उन्होंने पहचान की कि इस तरह की पर्ची पर सामग्री मूल दस्तावेज़ के समान है।

बी.

सी.

25. आरोपी नीरज कुमार के भाई पंकज ढाका से पीडब्लू-10 के रूप में पूछताछ की गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे 18 जून, 2006 को अपने भाई नीरज कुमार से मिलने आए थे। कार्यवाहक लांस दफेदार राजेंद्र सिंह उन्हें तीन से चार दिनों के लिए हिसार सैन्य स्टेशन में अपने भाई के पास ले गए।उसने कहा कि वह तीन-चार दिनों में अपने भाई से नहीं मिला और न ही उसने कुछ किया।अभियोजन पक्ष ने गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में बयान नहीं दिया, बल्कि शारीरिक रूप से हमला किया गया और हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए गए।उन्होंने अंग्रेजी में बयान (Ex.42) देने से इनकार करते हुए कहा कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, हालांकि उन्होंने बारहवीं कक्षा तक अंग्रेजी का अध्ययन किया था। उन्होंने पदच्युत किया कि उन्होंने बयान दिया है जैसा कि उन्हें बताया गया था और इस तरह के बयानों को सिखाया गया था।उन्होंने हिंदी में लिखी अपनी लिखावट और हस्ताक्षर (Ex.10) को स्वीकार किया जिसे वह स्वीकार करते हैं कि वह समझते हैं।वह स्वीकार करते हैं कि उन्हें बयान में कहा गया था कि बयान में कोई

कटौती या संशोधन नहीं हैं।वह स्वीकार करता है कि जब वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था तो वह एक कुर्सी पर बैठा था।उन्होंने पदच्युत कर दिया कि उनके बयान का वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद वह दो और दिनों के लिए रेजिमेंट में रहे।वह आगे कहता है कि उसके भाई को उसके सामने पीटा गया और उसे गलत बयान देने की धमकी दी गई ताकि उसके भाई की जान बचाई जा सके।

डी.

ई.

एफ.

26. अभियोजन पक्ष के अंतिम गवाह पीडब्लू-11 सोवर अतींद्र दहिया हैं।वह संदीप कुमार (एक्स. 9) के इकबालिया बयान का गवाह है।जिरह में एकमात्र सवाल लेफ्टिनेंट कर्नल जे. जी. गोपालन (पीडब्लू-1) की उपस्थिति के संबंध में पूछा गया था जब आरोपी नंबर 2 ने इकबालिया बयान लिखा था।

जी.

27. सेना का नियम 58 अभियुक्त ए को अवसर प्रदान करने के लिए है।

एच.

अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट होने वाली दोषपूर्ण परिस्थितियों की व्याख्या करना।यह विचार नहीं करता है कि ऐसा बयान एक सबूत का हो सकता है, जिसका नेतृत्व अभियोजन पक्ष ने नहीं किया है और अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाह की प्रतिपरीक्षा में इस तरह के पहलू के साथ अभियोजन पक्ष के गवाहों का सामना नहीं किया है।सेना नियम का नियम 58 इस प्रकार हैः

बी.

"58. अभियुक्त और बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ।(1) (क) प्रत्येक मुकदमे में, अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, अदालत या न्यायाधीश अधिवक्ता -

(i) किसी भी राज्य में, अभियुक्त को पहले चेतावनी दिए बिना, उसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो आवश्यक समझते हैं;

सी.

((ii) अभियोजन पक्ष के लिए मामला समाप्त होने के बाद और अपने बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले, आम तौर पर मामले पर उससे पूछताछ करेगा।"28. सेना नियमों के नियम 58 के तहत दर्ज एक बयान में, आरोपी नंबर 1 सोवर नीरज कुमार ढाका को 19 जून, 2006 को स्वतंत्र गवाहों के रूप में रिसालदार कटार सिंह और सोवर कृष्ण कुमार के साथ हस्तलिखित इकबालिया बयान (Ex. 8) दर्ज किया गया था।अभियुक्त ने कहा है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान झूठे हैं।उन्होंने इस घटना से इनकार किया लेकिन स्वीकार किया कि उन्हें संदेह था क्योंकि उन्होंने धोबी मेज पर मिली हस्तलिखित पर्ची स्काड्रन मेजर सरवन कुमार को सौंप दी थी।इसके बाद, आरोपी नंबर 1 ने अपने बयान में कहा कि वह 4 अप्रैल, 2006 से 11 अप्रैल, 2006 तक संतरी ड्यूटी कर रहा था।वह 11 अप्रैल, 2006 को हिसार सैन्य स्टेशन वापस आए और 14 अप्रैल, 2006 की शाम को छुट्टी पर चले गए और 14 मई, 2006 को वापस आ गए।15 मई, 2006 को वे लुनकरनसर में व्यायाम क्षेत्र में वापस चले गए।उन्होंने कहा कि उन्हें 19 मई, 2006 को लगभग 0730 बजे अभ्यास क्षेत्र में धोबी टेबल पर एक हस्तलिखित पर्ची मिली, जिसे उन्होंने स्काड्रन दफेदार मेजर सरवन कुमार को सौंप दिया।उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंदर सिंह (पीडब्लू-6) ने बुलाया, जिन्होंने उनसे हस्तलिखित पर्ची के बारे में पूछा।रिसालदार कटार सिंह (पीडब्लू-7) ने एक आदेश पारित किया और 'ए' स्काड्रन के सभी कर्मियों को वही सामग्री लिखने के लिए कहा गया जो हस्तलिखित पर्ची पर लिखी गई थी।ऐसे हस्तलिखित नमूने रिसालदार कटार सिंह (पीडब्लू-7) को सौंपे गए।11 जून, 2006 को लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंदर सिंह (पीडब्लू-6) ने उन्हें एक बार फिर हस्तलिखित पर्ची के बारे में पूछने के लिए अपने कार्यालय में बुलाया। उसने उस पर एक हस्तलिखित पर्ची लिखने और दो पिस्तौल चोरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

11 जून, 2006 को क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया गया और लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंदर सिंह (पीडब्लू-6) ने 18 जून, 2006 को लगभग 1700 बजे अपने कार्यालय में बुलाया जब उन्होंने देखा कि सोवर संदीप कुमार को पीटा जा रहा था।उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल जे. जी. गोपालन (पीडब्लू-1) के कार्यालय ले जाया गया।वहां कार्यवाहक लांस दफेदार राजेंद्र सिंह (पीडब्लू-3), रिसालदार कटार सिंह (पीडब्लू-7) और लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंदर सिंह (पीडब्लू-6) ने उनकी पिटाई की।लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंदर सिंह (पीडब्लू-6) ने उन्हें एक सुसाइड नोट लिखने के लिए मजबूर किया और एक इकबालिया बयान भी दिया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने दो पिस्तौल 9 एम. एम. ब्राउनिंग चुराई थी, जिसमें उन्होंने बाद में सुधार करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंदर सिंह (पीडब्लू-6) ने उन्हें सुसाइड नोट और इकबालिया बयान का प्रदर्शन दिया था।उन्हें एक नए पृष्ठ पर पूरी सामग्री को लिखने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।उन्होंने उसे धमकी भी दी और कहा कि अगर उसने कुछ नहीं लिखा या नहीं बताया तो उसके भाई को मार दिया जाएगा।उन्हें उनके भाई को दिखाया गया जो सोवर अतर दहिया (पीडब्लू-11) के साथ क्लर्क कार्यालय में बैठे थे।

बी.

सी.

29. सेना शासन के नियम 58 के तहत दर्ज एक बयान में, आरोपी नंबर 2 सोवर संदीप कुमार ने अपने पहले के बयान से पलटवार किया।उन्होंने कहा कि 18 जून 2006 को लगभग 1600 बजे वे हॉकी के मैदान में हॉकी का अभ्यास करने आए थे।स्क्वाड्रन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जे. जी. गोपालन उनके पास आए और उन्हें सूचित किया कि लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंदर सिंह, सेकंड-इन-कमांड ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया है।जब वह कार्यालय पहुंचे तो लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंदर सिंह, सेकंड-इन-कमांड ने लगभग पांच और लोगों के साथ उनकी पिटाई की।उन्हें सेकंड-इन-कमांड, 71 बख्तरबंद रेजिमेंट के कार्यालय में एक सुसाइड नोट लिखने के लिए मजबूर किया गया था।चार से पांच लोग थे जो लगातार उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे।आधे घंटे के बाद, लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंदर सिंह, सेकंड-इन-कमांड वापस आए और उन्हें एक हस्तलिखित प्रस्तुति सौंपी, जिसे उनकी लिखावट में शब्दशः नकल किया जाना था और उन पर हस्ताक्षर किए जाने थे।उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें क्वार्टर गार्ड तक सीमित कर दिया गया।उन्होंने आगे कहा कि 19 जून 2006 को उन्हें स्क्वाड्रन कमांडर के कार्यालय में बुलाया गया था।लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंदर सिंह, सेकंड-इन-कमांड, मेजर जोरावर सिंह गिल, स्क्वाड्रन कमांडर 'बी' स्क्वाड्रन, रिसालदार कटार सिंह, सीनियर जेसीओ 'ए' स्क्वाड्रन, कार्यवाहक लांस दफेदार राजेंद्र सिंह, लांस दफेदार ओम प्रकाश और सोवर रविंदर ने एक के बाद एक उनकी पिटाई की।उन्होंने उसके बयानों का वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसे उसे देने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें दो या तीन पृष्ठ लिखने और उन पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर किया गया था। बाद में उन्हें क्वार्टर गार्ड तक सीमित कर दिया गया।कुछ इसी तरह का बयान आरोपी नंबर 1 नीरज कुमार का भी है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

435

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामसंदीप कुमार ईटीसी। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

ए.

30. इन तथ्यों में, न्यायाधिकरण के आदेश और डी. सी. एम. के निष्कर्ष की जांच की जानी आवश्यक है।सबसे पहले, दोनों अभियुक्तों में से किसी को भी दी गई धमकियों या पिटाई के संबंध में अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से जिरह नहीं की गई।सेना के नियम 58 के तहत दिए गए ऐसे बयान ऐसे सबूत नहीं हैं जो गवाह के सामने रखे गए ऐसे किसी बचाव के अभाव में डी. सी. एम. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर संदेह करने के लिए माने जा सकते हैं।गवाह, जब गवाह बक्से में होता है, तो आरोपी की इस तरह की याचिका का जवाब दे सकता है।नियम 58 के तहत अभियुक्त का ऐसा बयान उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए है।अभियुक्त ऐसा बचाव नहीं कर सका जिससे अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह का सामना न हो।ये बयान शपथ पर नहीं हैं, हालांकि उनके पास शपथ पर गवाह के रूप में उपस्थित होने का विकल्प है।इसलिए, जब सेना के नियम 58 के तहत आरोपी को अवसर दिया गया था, तब दिए गए आत्म-लाभकारी बयान अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई संदेह पैदा नहीं करेंगे, जब कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह के लिए कोई दूरस्थ सुझाव भी नहीं है, जो अकेले आरोपी द्वारा बताए गए तथ्यों को प्रस्तुत कर सकता है।

बी.

सी.

31. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अजय कुमार सिंह और

डी.

ओआरएस. वी.फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और अन्य। **9** सुनवाई के दौरान

अधिनियम की धारा 30 के तहत एक अपील में कहा गया है कि यह न्यायालय आम तौर पर साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं करता है और न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में धीमा है जब तक कि सार्वजनिक महत्व का पर्याप्त प्रश्न न हो, लेकिन जब साक्ष्य की सराहना

गंभीर त्रुटि से दूषित हो जाती है, तो यह न्यायालय साक्ष्य की फिर से सराहना कर सकता है और न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ई.

"20. …अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की अनुसंधान में या अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी खामियों से स्वतंत्र रूप से अनुसंधान की जानी चाहिए या अन्यथा आपराधिक मुकदमे का परिणाम अनुसंधान के स्तर या अभियोजन पक्ष के संचालन पर निर्भर करेगा।अनुसंधान या अभियोजन में ऐसी खामियों के लिए आपराधिक मुकदमों को हताहत नहीं किया जाना चाहिए।अनुसंधान या अभियोजन में ऐसी खामियों के लिए आपराधिक मुकदमों को हताहत नहीं किया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

21. अभि.सा. 14 (प्रबंधक) और अभि.सा. 18 (कैशियर) द्वारा अपीलार्थीगण की पहचान करने वाले साक्ष्य और परीक्षण पहचान परेड में अपीलार्थीगण की पहचान के बारे में उनके साक्ष्य पर न्यायाधिकरण द्वारा अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए था।धारा के तहत शक्ति के प्रयोग में

9 आकाशवाणी 2016 एससी 3528

एच.

30 सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम के अनुसार, यह न्यायालय आम तौर पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है और न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में धीमा है जब तक कि सार्वजनिक महत्व का पर्याप्त प्रश्न न हो।लेकिन जब यह पाया जाता है कि किसी दिए गए मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन गंभीर त्रुटि से दूषित होता है, तो यह न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है और निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है।

बी.

32. जिस प्रश्न की जांच की जानी चाहिए वह यह है कि क्या न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 15 के तहत डीसीएम के आदेश को दरकिनार करने और मध्यवर्ती अवधि के लिए

कोई भुगतान नहीं करने के आगे के निर्देश के साथ अभियुक्त की बहाली का आदेश देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में था।

33. न्यायाधिकरण ने लिखित पर्ची (Ex.12 और Ex.15) के संबंध में गौण साक्ष्य को दरकिनार कर दिया है।विद्वत न्यायाधिकरण की राय थी कि अभियोजन पक्ष स्पष्ट है कि पिस्तौल की चोरी 6 अप्रैल, 2006 को हुई थी, लेकिन उसके बाद 27 अप्रैल, 2006 को भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था।इसके बाद, 13 मई, 2006 को एक एफ़. आई. आर. दर्ज की गई, लेकिन अचानक एक कार्ड बोर्ड जूता बॉक्स में लिपटे पिस्तौल की बरामदगी की कहानी 18 मई, 2006 को पेश की गई।एक संस्करण यह भी है कि सामान्य क्षेत्र में जाँच करते समय पिस्तौल बरामद किए गए थे।

सी.

डी.

34. हम पाते हैं कि न्यायाधिकरण के निष्कर्ष इस संबंध में सही नहीं हैं।स्क्वाड्रन कमांडर (पीडब्लू-1) लेफ्टिनेंट कर्नल जे. जी. गोपालन का यह स्पष्ट रुख है कि 27 अप्रैल, 2006 की रिपोर्ट बिना किसी भौतिक सत्यापन के तैयार की गई थी और इस तरह की रिपोर्ट के लिए उन्हें दंडित भी किया गया है।उन्होंने यह भी कहा कि प्रक्रियात्मक चूक हुई थी क्योंकि 27 अप्रैल, 2006 को हथियारों के भौतिक सत्यापन के बिना रिपोर्ट दी गई थी और कोई दैनिक, साप्ताहिक या मासिक जांच नहीं थी।रिसालदार कटार सिंह (पीडब्लू-7) ने अपदस्थ कर दिया है कि रिपोर्ट दी गई थी कि हथियार अपनी जगह पर होंगे क्योंकि किसी को भी कोई हथियार जारी नहीं किया गया है।गवाहों को दिए गए सुझाव कि भौतिक सत्यापन 27 अप्रैल, 2006 को किया गया था या पिस्तौल सामान्य क्षेत्र में बरामद की गई थी, सभी गवाहों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।अभियोजन पक्ष का यह रुख कि पिस्तौल 6 अप्रैल, 2006 को चोरी की गई थी, अभियुक्त द्वारा दिए गए लिखित और मौखिक स्वीकारोक्ति पर आधारित है।अभियोजन पक्ष का प्राथमिक साक्ष्य आरोपी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के साथ-साथ आरोपी नीरज कुमार के भाई पंकज ढाका द्वारा दिए गए इकबालिया बयान हैं।

ई.

एफ.

जी.

एच.

35. पंकज ढाका का यह बयान कि वह तीन से चार दिनों तक यूनिट में रहे, स्पष्ट नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है।गेस्ट रजिस्टर (Ex.22) हिसार के यूनिट क्षेत्र में 18 जून, 2006 को पंकज ढाका के प्रवेश को दर्शाता है।इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह तीन से चार दिनों तक यूनिट में रहे या उन्होंने देखा है कि उनके भाई को पीटा जा रहा है, यह पूरी तरह से अविश्वसनीय है।वास्तव में, गवाह ने गवाही दी है कि जब वह हिसार में यूनिट में गया था तो वह अपने भाई से नहीं मिला था।इसलिए, जिस कहानी में उसने अपने भाई को पीटते हुए देखा है, वह एक मनगढ़ंत कहानी है जब अभियोजन पक्ष के गवाहों में से किसी को भी इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया है।36. अभियोजन पक्ष का मामला आरोपी नीरज कुमार (पूर्व 8) और संदीप कुमार (पूर्व 9) द्वारा दिए गए लिखित इकबालिया बयानों पर आधारित है।इकबालिया बयानों के अलावा, लेफ्टिनेंट कर्नल जे. जी. गोपालन, स्क्वाड्रन कमांडर (पीडब्लू-1) और कर्नल अरविंदर सिंह, कमांडेंट (पीडब्लू-6) के सामने मौखिक स्वीकारोक्ति दी गई।पी. डब्ल्यू.-6 की स्वीकारोक्ति की किसी भी अनैच्छिक प्रकृति के संबंध में प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है या यह कि वह वह व्यक्ति है जिसने नियम 58 के तहत अपने बयानों में अभियुक्त को पीटा है।अभियुक्त अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से यह सवाल पूछे बिना कि उन्होंने अपने बयानों में कथित रूप से पिटाई की है, अभियोजन पक्ष के गवाहों के सुसंगत साक्ष्य पर संदेह नहीं कर सकते।इसलिए, नियम 58 के तहत अपने बयान में दिए गए इकबालिया बयानों को वापस लेने का कोई परिणाम नहीं है जब अभियोजन पक्ष के गवाहों से इकबालिया बयानों की अनैच्छिक प्रकृति के संबंध में जिरह नहीं की गई है।न्यायाधिकरण द्वारा विभिन्न रैंकों के गवाहों के बयान पर संदेह नहीं किया जा सका।न्यायाधिकरण के निष्कर्ष वास्तव में न्यायाधिकरण के स्पष्ट निर्देश पर आधारित हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

37. न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में 1972 के सेना आदेश संख्या 256 को पुनः प्रस्तुत किया है।हालाँकि, न्यायाधिकरण ने इस तरह के सैन्य आदेश को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा है ताकि यह माना जा सके कि सेना को दिए गए इकबालिया बयान अस्वीकार्य हैं।आदेश के प्रासंगिक उद्धरण को तैयार संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

जी.

“1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 सेना अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कोर्ट-मार्शल के समक्ष सभी कार्यवाही पर लागू होता है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में

प्रावधान है कि किसी पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई भी इकबालिया बयान किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगा।उसी अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान है कि नहीं

एच.

438

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 12 एस सी आर।

किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति, जब तक कि वह एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में है, जब तक कि यह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं की जाती है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साबित होगी।हालाँकि, एक स्वीकारोक्ति के परिणामस्वरूप पाए गए तथ्य जो स्वयं एक पुलिस अधिकारी के सामने किए गए अस्वीकार्य हैं, या एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में हैं और मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं हैं और स्वीकारोक्ति का इतना हिस्सा जो स्पष्ट रूप से तथ्यों से संबंधित है जिससे पता चला है, साबित किया जा सकता है।(भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27)।

बी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

4. जब कोई व्यक्ति, सेना अधिनियम के अधीन, करता है या ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक सैन्य पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए एक स्वीकारोक्ति करने वाला है, तो उसे पहले सैन्य पुलिस हिरासत से हटा दिया जाना चाहिए और सामान्य सैन्य हिरासत में रखा जाना चाहिए।फिर उसे एक सैन्य अधिकारी के सामने ले जाया जा सकता है ताकि ऊपर पैरा 3 में वर्णित तरीके से उसका इकबालिया बयान दर्ज किया जा सके।वैकल्पिक रूप से, उसे सैन्य पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जा सकता है, ताकि उसका इकबालिया बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अनुसार दर्ज किया जा सके।"

सी.

डी.

38. साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के संदर्भ में, साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान सेना अधिनियम, नौसेना अनुशासन अधिनियम, भारतीय नौसेना (अनुशासन) अधिनियम, 1934 या वायु सेना अधिनियम के तहत बुलाए गए कोर्ट मार्शल पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन अधिनियम की

धारा 133 के संदर्भ में, साक्ष्य अधिनियम उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोर्ट मार्शल के समक्ष सभी कार्यवाही पर लागू होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के संदर्भ में, केवल सैन्य पुलिस अधिकारी जैसे पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान साक्ष्य में अस्वीकार्य है न कि अन्य व्यक्तियों के समक्ष दिया गया बयान।

ई.

एफ.

39. वर्तमान मामले में, लेफ्टिनेंट कर्नल जे. जी. गोपालन (पीडब्लू-1) स्क्वाड्रन कमांडर हैं जिनके सामने आरोपी ने मौखिक स्वीकारोक्ति दी है।वह आरोपी को पीडब्लू-6 कर्नल अरविंदर सिंह, सेकंड-इन-कमांड के पास ले गया है।लेफ्टिनेंट कर्नल जे. जी. गोपालन (पीडब्लू-1) और कर्नल अरविंदर सिंह (पीडब्लू-6) के आदेशों के तहत, आरोपी ने 18 जून, 2006 को पूरे स्क्वाड्रन के सामने कबूल किया।19 जून, 2006 को अभियुक्तों ने अपनी लिखावट में एक लिखित स्वीकारोक्ति दी है।इस तरह के लिखित स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग भी वीडियो-रिकॉर्ड की जाती है।इसलिए, इस तरह की स्वीकारोक्ति ए नहीं है

जी.

एच.

439

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामसंदीप कुमार ईटीसी। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 1972 के सेना आदेश संख्या 265 द्वारा प्रभावित।

40. इस प्रकार, एक सैन्य पुलिस अधिकारी को अलग करने वाला कार्यालय आदेश सेना के एक अधिकारी से अलग और अलग है।न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह के भेद को आसानी से खारिज कर दिया गया है।अकेले सैन्य पुलिस अधिकारी के समक्ष अभियुक्त द्वारा दिया गया इकबालिया बयान स्वीकार्य नहीं है, लेकिन एक सेना अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है।वास्तव में, इस तरह का बयान लिखित स्वीकारोक्ति के साथ अलग-अलग अधिकारियों के सामने पूरे स्क्वाड्रन के सामने दिया जाता है जिसे वीडियो भी बनाया गया था।

बी.

सी.

41. अभियुक्तों ने इस तथ्य के आधार पर अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा करने की कोशिश की है कि हस्तलिखित पर्ची के मूल प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।लेफ्टिनेंट कर्नल जे. जी. गोपालन (पीडब्लू-1) ने पदच्युत किया है कि इस तरह की पर्ची की मूल प्रतियां पारगमन के दौरान खो गई हैं, जबकि स्कैन की गई प्रति मूल की वास्तविक प्रति है जिसे गवाह ने देखा है।इस तरह के बयान का समर्थन रिसालदार सरवन कुमार (पीडब्लू -5) जिसे पर्ची मिल गई है और दफेदार विजयपाल सिंह (पीडब्लू-4) ने कार्डबोर्ड का जूता बरामद किया है।इसके अलावा, डी. सी. एम. के समक्ष, अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से पर्ची पेश करने पर विवाद नहीं किया है।इसलिए, हमें सबूत में ऐसी पर्ची को ध्यान में नहीं रखने का कोई कारण नहीं मिलता है क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल जे. जी. गोपालन (पीडब्लू-1) और कर्नल अरविंदर सिंह (पीडब्लू-6) वे व्यक्ति हैं जिन्होंने मूल प्रतियों को देखा है और यह भी कहा है कि स्कैन की गई प्रतियां मूल प्रतियों के समान हैं।इसलिए, हम पाते हैं कि न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 15 के तहत अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए डी. सी. एम. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को उलटने में कानूनी रूप से गलती की।

डी.

ई.

एफ.

42. श्री मलिक का तर्क कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने सेना नियमों के नियम 58 के तहत अभियुक्त के सामने साक्ष्य में दिखाई देने वाली आपराधिक परिस्थितियों को नहीं रखा है, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा दोषसिद्धि को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।यह कहा जा सकता है कि लिखित इकबालिया बयान की आपत्तिजनक परिस्थिति को आरोपी नीरज कुमार के सामने रखा गया था और उसके बाद, उन्होंने पांच से अधिक पृष्ठों में एक विस्तृत गैर-प्रमाणित बयान दिया है जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।इसी तरह, आरोपी संदीप कुमार ने भी छह से अधिक पृष्ठों में अपना अप्रमाणित बयान दिया है, जिसका सारांश ऊपर दिया गया है।हालांकि,

जी.

10 साक्ष्य अधिनियम

एच.

सैन्य नियमों के नियम 58 के संदर्भ में अभियुक्तों के सामने दोषारोपण करने वाली परिस्थिति रखी जानी चाहिए थी, जो संहिता की धारा 313 के समान है, लेकिन अभियुक्तों द्वारा दिया गया विस्तृत स्पष्टीकरण अभियुक्तों के खिलाफ विशिष्ट दोषारोपण करने वाली परिस्थितियों के अभाव के कारण उनके प्रति होने वाले किसी भी पूर्वाग्रह को खारिज करता है।

43. केया मुखर्जी बनाम मैग्मा लीजिंग लिमिटेड मामले में यह अदालत

बी.

& एन. आर. 11 जय देव और अन्र बनाम में पहले के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख करते हुए।पंजाब राज्य 12, कि क्या अभियुक्त को यह कहने का अवसर दिया गया है कि वह अपने विरुद्ध अभियोजन के संबंध में क्या कहना चाहता था, जो निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः

"17. उपरोक्त दृष्टिकोण से पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा उठाए गए इस तर्क के आलोक में भी प्रावधान की कठोरता को कुछ कम किया जा सकता है कि निचली अदालत द्वारा एक महत्वपूर्ण परिस्थिति में उससे पूछताछ न करने से उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।अपीलीय स्तर पर अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण स्वयं अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों के लिए पर्याप्त विकल्प माना गया था।

सी.

डी.

18. संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त की जाँच का उद्देश्य क्या है?धारा स्वयं स्पष्ट भाषा में उद्देश्य की घोषणा करती है कि यह 'अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से' है।जय देव बनाम पंजाब राज्य [ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 612] मामले में जे. गजेंद्रगढ़कर, जे. (जैसा कि वे तब थे) ने तीन-न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए यह निर्धारित करने में अंतिम परीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है कि क्या प्रावधान का उचित रूप से पालन किया गया है।उन्होंने इस प्रकार टिप्पणी कीः(आकाशवाणी पृष्ठ 620, पैरा 21)

ई.

एफ.

'21. … धारा 342 के तहत अभियुक्त की निष्पक्ष जांच की गई है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए अंतिम परीक्षण यह होगा कि क्या उसे पूछे गए सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, उसे यह कहने का अवसर मिला कि वह अपने खिलाफ अभियोजन मामले के संबंध में क्या कहना चाहता था।यदि यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति की जाँच दोषपूर्ण थी और इस प्रकार उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक गंभीर दुर्बलता होगी।'

जी.

11 (2008) 8 एस. सी. सी. 447 12 एयर 1963 एस. सी. 612 ए

एच.

441

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामसंदीप कुमार ईटीसी। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

19. इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्रावधान का उद्देश्य मुख्य रूप से अभियुक्त को लाभ पहुंचाना है और इसके परिणामस्वरूप अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में अदालत को लाभ पहुंचाना है।

20. साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस प्रावधान का उद्देश्य उसे किसी भी पद पर नियुक्त करना नहीं है, बल्कि मैक्सिम ऑडी अल्टरम पार्टेम में निहित प्राकृतिक न्याय के सबसे हितकारी सिद्धांत का पालन करना है।संहिता की धारा 313 में उप-धारा (1) के खंड (ए) में 'मई' शब्द बिना किसी संदेह के इंगित करता है कि भले ही अदालत उस खंड के तहत कोई सवाल नहीं उठाती है, लेकिन आरोपी इसके लिए कोई शिकायत नहीं उठा सकता है।लेकिन अगर अदालत उप-धारा के खंड (बी) के तहत आवश्यक प्रश्न रखने में विफल रहती है तो इसके परिणामस्वरूप आरोपी को बाधा होगी और वह वैध रूप से दावा कर सकता है कि उसे समझाने का अवसर दिए बिना उसके खिलाफ कोई भी सबूत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जिस परिस्थिति के बारे में अभियुक्त को स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा गया था, उसका उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है।"

बी.

सी.

डी.

44. नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य 13 में एक बाद के फैसले में, इस अदालत ने वसीम खान बनाम राज्य मामले में इस अदालत के पहले के फैसलों का उल्लेख किया।

यू. पी. **14,** भुर सिंह बनाम पंजाब राज्य **15** और संतोष कुमार सिंह

v. राज्य 16 निम्नानुसार होगाः"20. यह सवाल कि क्या एक मुकदमा दूषित किया गया है या नहीं, त्रुटि की डिग्री पर निर्भर करता है और आरोपी को यह दिखाना चाहिए कि धारा 313 सी. आर. पी. सी. के गैर-अनुपालन ने उसे भौतिक रूप से पूर्वाग्रहित किया है या उसके लिए पूर्वाग्रह पैदा करने की संभावना है।केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दोषपूर्ण पूछताछ के कारण, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि अभियुक्त के प्रति कोई

पूर्वाग्रह पैदा किया गया था, यह मानते हुए भी कि अभियोजन मामले में कुछ दोषपूर्ण परिस्थितियों को छोड़ दिया गया था।जब अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह का आरोप लगाया जाता है, तो यह दिखाया जाना चाहिए कि अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दी गई सुरक्षा के संबंध में कुछ अक्षमता या नुकसान हुआ है। इस तरह के पूर्वाग्रह को यह भी प्रदर्शित करना चाहिए कि इसने अभियुक्त को न्याय देने में विफलता का कारण बना है। अभियुक्त पर यह साबित करने का भार है कि उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया गया है या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, ऐसा पूर्वाग्रह हो सकता हैः

ई.

एफ.

जी.

13 (2015) 1 एस. सी. सी. 496 14 ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 400 15 ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1256 16 (2010) 9 एस. सी. सी. 747

एच.

निहित है और न्यायालय इस तरह के पूर्वाग्रह का निष्कर्ष निकाल सकता है।प्रत्येक मामले के तथ्यों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की जानी चाहिए कि क्या वास्तव में अभियुक्त के सामने रखी जा रही कुछ दोषपूर्ण परिस्थितियों को छोड़ने के कारण अपीलार्थी के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।"

45. चूँकि अभियुक्तों ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में दिखाई देने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों को छूते हुए विस्तृत बयान दिए हैं और उनके द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों को भी वापस ले लिया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्तों के सामने आपत्तिजनक परिस्थितियों को रखने से अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

बी.

46. अधिनियम की धारा 15 न्यायाधिकरण को व्यापक शक्ति प्रदान करती है ताकि कोर्ट मार्शल द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की अनुमति दी जा सके जहां कोर्ट मार्शल का निष्कर्ष किसी भी कारण से कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है; निष्कर्ष में कानून के प्रश्न पर गलत निर्णय शामिल है या मुकदमे के दौरान कोई भौतिक अनियमितता थी जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई।भले ही न्यायाधिकरण की शक्ति व्यापक है, लेकिन कोर्ट मार्शल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए साक्ष्य की सराहना पर

यह केवल एक अलग राय नहीं है।हस्तक्षेप का पहला आधार यह है कि क्या कोर्ट मार्शल का निष्कर्ष "कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है"।इसलिए, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने के लिए, कोर्ट मार्शल द्वारा कानून की त्रुटि होनी चाहिए जो कोर्ट मार्शल द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि के खिलाफ हस्तक्षेप करने के लिए न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान करेगी। दूसरा आधार "कानून के सवाल पर गलत आवेदन" है।हालाँकि, वर्तमान मामले में न्यायाधिकरण ने सेना के आदेश को गलत तरीके से पढ़कर कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में गंभीर त्रुटि की है।न्यायाधिकरण द्वारा कोई भौतिक अनियमितता इंगित नहीं की गई है क्योंकि अनियमितता सैन्य अधिकारी द्वारा इकबालिया बयानों के संबंध में है जो साक्ष्य अधिनियम के तहत या अधिनियम के तहत जारी सैन्य आदेश के तहत प्रतिबंध नहीं है। न्यायाधिकरण यह पता लगाने के लिए साक्ष्य की फिर से सराहना कर सकता है कि क्या कोर्ट मार्शल का कोई निष्कर्ष किसी भी कारण से कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है; या कि निष्कर्ष में शामिल है

सी.

डी.

ई.

एफ.

कानून के प्रश्न पर गलत निर्णय या मुकदमे के दौरान एक भौतिक अनियमितता थी जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात हुआ

जी.

न्याय।लेकिन ऐसी व्यापक शक्तियां न्यायाधिकरण को केवल इसलिए निष्कर्षों को उलटने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं क्योंकि यह पाता है कि अलग दृष्टिकोण संभव है।

एच.

443

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनामसंदीप कुमार ईटीसी। [हेमंत गुप्ता, जे।]

ए.

47. इसे ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि न्यायाधिकरण ने डी. सी. एम. द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया।

48. नतीजतन, भारत संघ द्वारा दायर 2016 की डायरी No.9218 से उत्पन्न आपराधिक अपीलों को अनुमति दी जाती है, जबकि, 2016 की डायरी Nos.7204 और 2016 की 7205 से उत्पन्न आपराधिक अपीलों को क्रमशः नीरज कुमार ढाका और संदीप कुमार द्वारा दायर

किया जाता है।हालाँकि, अभियुक्त पर लगाई गई सजा को उस हद तक कम कर दिया गया है जिस हद तक वे पहले ही भुगत चुके थे।

बी.

सी.

दिव्या पांडे

अपीलों का निपटारा किया गया।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.